झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
झारखण्ड, राँची

पुरूलिया रोड, सिविल सर्जन राँची के कार्यालय के बगल परिसर, राँची, झारखण्ड–834001
ई–मेलः registrarjnrc@rediffmail.com, वेवसाईटः www.jnrcranchi.com

पत्रांकः– झा0परि0नि0प0/150/2021 - 1289 राँची / दिनांक- 10 / 07 / 23

प्रेषक,

निबंधक,
झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
झारखण्ड।

विषयः– राज्यांतर्गत पूर्व से संचालित एवं प्रस्तावित सभी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित मानको को पूरा करने संबंधि सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2023 को आहुत बैठक के दौरान दिये गये निदेश निम्नवत् हैः–

1. राज्य अंतर्गत सभी प्रस्तावित नर्सिंग संस्थान जिन्हें अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं प्रदान किया गया है, वैसे संस्थानों के मामले में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0 134(10) दिनांक 30.05.2023 के आलोक में सभी मानकों को पूरा करने संबंधि सूचना विहित प्रपत्र में प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

2. राज्यांतर्गत पूर्व से संचालित सभी नर्सिंग संस्थानों के मामले में भी उक्त संकल्प संख्या 134(10) दिनांक 30.05.2023 के आलोक में सभी मानको को पूरा करने के संबंध में सूचना विहित प्रपत्र में, सूचना/पत्र/आदेश प्रकाश के 15 दिनों के भीतर/अंदर प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

3. जिन संस्थानों को समिति द्वारा पूर्व में अनुशंसा प्रदान की गई है, उन सभी संस्थानों से 02 माह के अंदर विभागीय संकल्प संख्या 134(10) दिनांक 30.05.2023 के आलोक में सभी मानकों को पूरा करने एवं तत्संबधित सूचना विहित प्रपत्र में प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

4. क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु अस्पताल की संबद्धता एवं अस्पताल में उपलब्ध बेड, आधारभूम संरचनाएं एवं अन्य आवश्यक सूविधाओं की जाँच करने का भी निदेश दिया गया।

उक्त के निमित सूलभ प्रसंग हेतु विभागीय संकल्प सं0 134(10) दिनांक 30.05.2023 की प्रति अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः महाशय से आग्रह है कि कृपया उपर्युक्त वर्णित विभागीय निदेश के आलोक में समय सीमा के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/07/2023

निबंधक,

झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्,

ज्ञापांकः– 1289/JNRC रॉंची / दिनांक–10/07/2023

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक प्रमुख–सह–अध्यक्ष, झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव/निदेशक, सभी प्रस्तावित नर्सिंग संस्थान, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/07/2023

निबंधक,

झारखण्ड परिचारिका निबंधन परिषद्,

झारखण्ड, राँची।